प्रकरण संख्या 92/2016 अनवान मोहन लाल बनाम सरोज वगैरा अ0धा0 251-ए आरटीएक्ट निर्णय 15.10.2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़
पीठासीन अधिकारी - श्रीमती शंकुतला आर.ए.एस.

राजस्व प्रकरण संख्या - 92/2016 निर्णय दिनांक -15.10.2024
(जी.सी.एम.एस.-2016/00103)

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

अनवान -
मोहन लाल पुत्र श्री लेखराम जाति जाट निवासी गोमावाली तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ (राज0)।

......प्रार्थी......

बनाम-
01- सरोज पत्नि लेखराम जाति मेघवाल जाति मेघवाल निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
02- रामप्रताप पुत्र श्री रतनाराम जाति मेघवाल निवासी गोमावाली तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ (राज0)।
03- स्टेट आर्फ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर।

.....अप्रार्थीगण ......

उपस्थिति- 01. श्री ओम धायल, वकील प्रार्थी
02. साहिब बाघला, वकील अप्रार्थीगण संख्या 01
03. पैराकार राज, तहसीलदार श्री विजयनगर

::-निर्णय ::-

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है कि:-
यह है कि प्रार्थी के नाम चक 6 जीएम तहसील श्रीविजयनगर का मु0न0 9 प0न0 183/59 का किला नम्बर 22 ता 25 का कुल 1.012 हैक्टर भूमि कमाण्ड मय खाला भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वर्णित रकबा का शेष रकबा कि.न. 1 ता 15 अप्रार्थी सं. 1 व कि.न. 16 ता 21 अप्रार्थी सं. 2 के नाम से दर्ज रिकार्ड है खाता सं. 33, 29 जमाबन्दी प्रमाणित प्रति सलंग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी की पैरा सं. 1 में वर्णित भूमि के पश्चिम में मु.न. 183/50 व उत्तर में 183/58 का रकबा है एंव उपरोक्त मु.न. 183/59 के रकबा में प्रवेश के लिए मु.न. 183/50 व 183/58 के कि.न. 21 ता 25 में रास्ता स्वीकृत शुदा व मौका पर चालू है जो कि मु.न. 183/59 के कि.न. 5 से चिपता हुआ है किन्तु उक्त मु.न. 183/59 में तीन काश्तकार प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 होने से उक्त मु.न. 183/9 के कि.न. 5 [illegible] जाने के लिए कोई रास्ता स्वीकृतशुदा नहीं है। प्रार्थी अपने रकबा में [illegible] .न. 183/59 के कि.न. 5 में चल रहे स्वीकृतशुदा रास्ता [illegible] रकबा के कि.न. 25 में प्रवेश करके कर रहा है जो [illegible] 5, 6, 15 अप्रार्थी सं. [illegible] न. 16 का रकबा अप्रार्थी सं. 2 का है। चूकि प्रार्थ[illegible] रकबा में आने जाने [illegible] कोई स्वीकृतशुदा सुगम रास्ता नहीं होने से प्रार्थी मु.न. 183/59 का कि.न. 5 में चल रहे रास्ता से कि.न. 5,6,15,16 मे बने खाला के साथ साथ करीब 10 फुट भूमि को अपने रकबा में आने जाने के लिए रास्ता के रूप में उपयोग अप्रार्थीगण की सहमति एंव उनके पूर्ण ज्ञान में काफी अर्सा से करता आ रहा है किन्तु उपरोक्त भूमि रास्ता आम के रूप में स्वीकृत न

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.11.07 10:14:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या 92/2016 अनवान मोहन लाल बनाम सरोज वगैरा अ0धा0 251-ए आरटीएक्ट निर्णय 15.10.2024

होकर अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के रूप में दर्ज है इसलिए उपरोक्त भूमि को अप्रार्थीगण कभी भी काश्त कर सकते है जिससे प्रार्थी के पास अपने रकवा में आने जाने के लिए कोई सुगम रास्ता नहीं रह जावेगा जिससे प्रार्थी का अपने रकवा में प्रवेश भी वर्जित हो जावेगा व काश्त आदि में भारी परेशानी होगी। चूँकि प्रार्थीया के रकबा व ढाणि में आने जाने के लिए उपरोक्त पैरा सं. 5 में वर्णित रास्ता के अलावा अन्य कोई सुगम रास्ता नहीं है इसलिए प्रार्थी ने उपरोक्त जगह जिसका उपयोग प्रार्थी रास्ता के रूप में कर रहा है को रास्ता आम के रूप में स्वीकृत करवाने बावत् अप्रार्थी से सम्पर्क कर निवेदन किया तो अप्रार्थीगण प्रार्थीया को आश्वासन देते रहे कि आप खेत पडौसी है और काफी अर्सा से इसका उपयोग रास्ता के रूप में कर रहे है कोई परेशानी नहीं है और आयन्दा भी कोई परेशानी नहीं आएगी आप इसका उपयोग करते रहे जब कभी गांव में राजस्व कैम्प आदि लगेगा तो तहसीलदार के समक्ष ब्यान देकर उक्त भूमि को रास्ता आम दर्ज करवा लेगे जिस पर प्रार्थी ने विश्वास कर लिया व किन्तु हाल ही में करीब 15-20 रोज पूर्व गांव समय व्यतीत होता रहा गोमावाली में राजस्व कैम्प लगा तब प्रार्थी ने उक्त जगह को रास्ता आम स्वीकृत करवाने व रास्ता में आने वाली भूमि के बदले इसी मुरब्बा अप्रार्थीगण के रकबा के साथ चिपती भूमि में प्राप्त करने के लिए कहा तो अप्रार्थीगण टाल मटौल करने लगे जिस पर प्रार्थीया ने दिनांक 05.06.2016 को मौतबीरान व्यक्तियों को साथ लेकर अप्रार्थीगण को उक्त भूमि जो रास्ता के रूप में प्रार्थीया उपयोग कर रही है के बदले में उसी मुरब्बा की प्रार्थी की चिपती भूमि में रास्ता में आने वाली भूमि के बराबर भूमि प्राप्त कर उक्त कि. न. 5, 6, 15, 16 में खाला के साथ साथ 10 फुट चौडाई व 4 बीघा लम्बाई तक भूमि को रास्ता आम स्वीकृत करवाने में प्रार्थी का सहयोग करने के लिए कहा तो अप्रार्थीगण ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया व धमकी दी कि वह उपरोक्त प्रार्थी के उपयोग में चले आ रहे रास्ता को जबरन काश्त कर देगे और इसमें गड्डे आदि बनाकर या अन्य प्रकार से बाधा पैदा कर प्रार्थी का खेत में आना जाना बंद कर देगे बस यही तारीख विनाए मुखास्मत वाद कारण है। यदि उक्त भूमि जो कि प्रार्थी अपने रकवा में आने जाने व अपने कृषि औजारो को लाने ले जाने के लिए रास्ता के रूप में उपयोग कर रहा है को यदि रास्ता आम के रूप में स्वीकृत नहीं किया जाता है तो अप्रार्थी प्रार्थी के रकवा के लिए उपरोक्त चल रहे रास्ता को जबरन काश्त आदि करके या अन्य बाधा पैदा कर बंद कर देगे अथवा उपरोक्त रकबा को अन्य किसी को विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरित कर देता है तो प्रार्थी के रकबा में आने जाने के लिए अन्य कोई सुगम रास्ता नहीं होने से प्रार्थी का अपनी भूमि में आना जाना बंद हो जावेगा एंव प्रार्थी काश्त करने में असमर्थ हो जावेगा व अपने कृषि यन्त्रो तो लाने ले जाने में भारी परेशानी होगी तथा काश्त के अभाव में भूमि बंजर हो जावेगी एंव प्रार्थी का जीवनयापन दुर्भर हो जावेगा जिससे प्रार्थी के विधिक अधिकारो का हनन होगा एंव अपूर्णीय क्षति होगी व आवागमन में व काश्त आदि में भारी असुविधा होगी। जबकि प्रार्थी रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में अप्रार्थी को उसकी भूमि के साथ चिपती भूमि में बराबर की भूमि देने के लिए तैयार, तत्पर व इच्छुक है इसलिए अप्रार्थी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं है यदि अप्रार्थीगण भूमि के बदले भूमि [illegible] चाहे तो रास्ता मे आने वाली भूमि का प्रतिफल निर्धारित दर पर अदा क[illegible] लिए भी प्रार्थी तैयार, तत्पर है। प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि [illegible] तक आ रहे स्वीकृतशुदा रास्ता से कि.न. 5, 6, 15, 16 में खाला के सा[illegible] फुट चौडा 4 बीघा लम्बाई तक कि. न. 25 की हद तक भूमि को रास्ता आम के रूप में स्वीकृत करते हुए इसका अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में किया जाने के आदेश पारित किये जाने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 जरिये वकील श्री साहिब वाघला उपस्थित आये। अप्रार्थीगण संख्या 01 द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.11.07 10:14:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या 92/2016 अनवान मोहन लाल बनाम सरोज वगैरा अ0धा0 251-ए आरटीएक्ट निर्णय 15.10.2024

जरिये वकील जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो संलग्न मिसल है। अप्रार्थीगण संख्या 02 उपस्थित नही होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार श्रीविजयनगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा भू-अ0नि0 वृत कूपली एवं पटवारी हल्का 8 जीएम की मूल रिपोर्ट मय नजरी नक्शा न्यायालय में प्रेषित किया गया। भू-अ0नि0 वृत कूपली एवं पटवारी हल्का 8 जीएम द्वारा प्रेषित रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता परम आवश्वय है। उक्त जोत तक पहुंचने हेतु वैकल्पिक रास्ते का अभाव है, नजरी नक्शा संलग्न है। रास्ते की परम आवश्यकता है तथा वैकल्पिक रास्ता भी संभव है, जो कि नजरी नक्शे में दर्शाया गया है। न्युनतम एवं निकटतम विकल्प व्यवहारिक है। चाहे गये रास्ते में पक्का खाला एवं कुंआ है तथा वैकल्पिक रास्ते में भी पक्के खाले पर पुलिया की आवश्यकता होगी। चाहा गया सम्पूर्ण रास्ता खातेदार की भूमि में से होकर जाता है।

हमने विद्वान अधिवक्तागण, उभयपक्षकारान की बहस सुनकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एंव तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा प्रेषित भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के खातेदारी रकबा वाके चक 6 जीएम तहसील श्रीविजयनगर का मु0न0 9 प0न0 183/59 का किला नम्बर 22 ता 25 का कुल 1.012 हैक्टर भूमि कमाण्ड मय खाला भूमि खातेदारी जोत तक पहुचने के लिए नवीन रास्ते की मांग की गई है। तहसीलदार श्रीविजयनगर के द्वारा प्रस्तुत भू.अ.नि. क्षेत्र की मूल रिपोर्ट मय नजरी नक्शा में प्रस्तावित रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के पास अपने रकबा चक 6 जीएम तहसील श्रीविजयनगर का मु0न0 9 प0न0 183/59 का किला नम्बर 22 ता 25 का कुल 1.012 हैक्टर भूमि कमाण्ड मय खाला भूमि खातेदारी रकबा को काश्त करने के के लिए अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही है। उक्त नवीन रास्ता के स्वीकृत होने से निकटतम अभिलिखित रास्ते तक प्रार्थीगण की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। अतः प्रार्थना पत्र, प्रार्थी का स्वीकार करने योग्य है।

क्रियात्मक :आदेशः-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर राजस्व चक 6 जीएम तहसील श्रीविजयनगर के मु.न. 183/59 के कि.न. 5, 6, 15, 16 मे बने खाला के साथ-साथ प्रत्येक बीघा में 16-1/2 फुट चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार श्रीविजयनगर को निर्देश दिये जाते है कि रास्ते में आई भूमि की प्रचलित डी.एल.सी. दर का दुगुना प्रतिकर प्रार्थी से वसूल कर हितबद्व अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 को भुगतान करे। उक्त राशि वसूलने के बाद ही स्वीकृत रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। यदि हितबद्व अप्रार्थीगण उक्त राशि प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं तो उक्त राशि को तब तक जमा रखें जब तक की हितबद्व अप्रार्थीगण इस [illegible] हो जावें। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि को प्राप्त करने में [illegible] की [illegible] में कोई ब्याज देय नहीं होगा। तहसीलदार श्रीविजयनगर को [illegible] हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आदिनांक 15/10/2024 को मेरे द्वारा [illegible]ाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.11.07 10:14:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शकुन्तला
श्रीविजयनगर
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़

Scanned with CamScanner